

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 173 B.N.S.S)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):  
30/01/2026 18:41 hrs

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))  
1 PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Friday Date from (दिनांक से): 30/01/2026 Date To (दिनांक तक): 30/01/2026  
Time Period (समय अवधि): Pahar 6 Time From (समय से): 17:25 hrs Time To (समय तक): 17:25 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/01/2026 Time (समय): 18:20 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date and Time (दिनांक और समय): 30/01/2026 18:22 hrs



4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 35 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): नई सब्जी मंडी गोहाना,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): राजेश कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): स्व श्री करतार सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1986

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	654/27, जवाहर नगर जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	654/27, जवाहर नगर जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9354838065

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	IO जीतसिंह			1. थाना शहर गोहाना जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में

निरीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक

श्रीमान जी.

राविद्य निवेदन यह है कि मैं राजेश कुमार पुत्र स्व: श्री करतार सिंह वासी मकान नम्बर 654/27 जवाहर नगर जिला



सोनीपत का रहने वाला हूँ और मैं ताईकवान्छो का कोच हूँ और मैं सोनीपत में अपनी एकेडमी चलाता हूँ। मेरी बहन गीता पत्नी मुकेश पत्र सतबीर वारी लक्ष्मी नगर गोहाना के साथ शादीशुदा है। मेरी बहन के देवर पवन ने PNL नाम से गोहाना में एक कम्पनी बनाई थी। कम्पनी में घाटा आने पर कम्पनी के ग्राहकों के पैसे वा लोटाने पर मेरी बहन के देवर पवन वगैरा के खिलाफ थाना शहर गोहाना में एक मुकदमा नम्बर 405 दिनांक 25.10.2025 धारा 3,316(2), 318(2) BNS दर्ज हो गया था। जिसमें मेरे जीजा मुकेश के भाई पवन को दिनांक 02.11.2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पवन की गिरफ्तारी के बाद इस केस के I/O जीत सिंह थाना शहर गोहाना सोनीपत ने उसकी रिमान्ड अवधि के दौरान उसके साथ मार पिटाई करने एवं परिवार के अन्य निर्दोष सदस्यों की गिरफ्तारी का भय दिखाकर मेरे जीजा मुकेश से 3.50.000 (तीन लाख पचास हजार) रुपये रिश्त के तौर पर ले लिये थे। और I/O द्वारा पवन को जेल में बन्द करवा दिया था। फिर इस केस के I/O जीत सिंह द्वारा पवन के परिवार के अन्य निर्दोष सदस्यों की गिरफ्तार करने का भय दिखाया गया जिस सम्बन्ध में मैं दिनांक 02.01.2026 को I/O जीत सिंह थाना शहर गोहाना सोनीपत से मिला तो उसने पवन के परिवार के अन्य सदस्यों का नाम उस केस से निकालने की एवज में मेरे से 10,00,000 (दस लाख) रुपये रिश्त की डिमान्ड की गई। उसके बाद फिर दिनांक 25/26.01.2026 को मैं I/O जीत सिंह से थाना शहर गोहाना में जाकर मिला और उससे उपरोक्त केस के सम्बन्ध में बातचीत की तो I/O जीत सिंह ने मेरे से मेरे निर्दोष रिश्तेदारों का नाम इस केस से निकालने के एवज में 10 लाख रुपये की मांग की जो मेरे द्वारा काफी गिन्नत करने के बाद 3,00,000 (तीन लाख) रुपये रिश्त राशी के लिये मान गया जो मैंने I/O द्वारा रिश्त राशी की मांग करते समय की रिकार्डिंग वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया हुआ है। मैंने I/O जीत सिंह से पैसे का इन्तजाम करने के लिये कुछ समय मांगा था। उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी जीत सिंह थाना शहर गोहाना सोनीपत ने 1,50,000/-रुपये की रिश्त राशी लेने के लिये आज मुझे बुलाया है। मैं उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को रिश्त के पैसे नहीं देना चाहता। मेरी और I/O जीत सिंह थाना शहर गोहाना सोनीपत की इस केस से पहले आपस में ना तो कोई जानकारी थी और ना ही हमारे बीच आज तक ली गई रिश्त राशी के अलावा पैसे का कोई लेन-देन हुआ है। मेरे और सरकारी कर्मचारी जीत सिंह के बीच रिश्त वारे हुई कुछ बातचीत को रिकार्डिंग वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया हुआ है। जिसको मैं बाद में आपको पेश कर दूंगा। अतः सरकारी कर्मचारी I/O जीत सिंह थाना शहर गोहाना सोनीपत के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। हस्ता अंग्रेजी Rajesh

राजेश कुमार पुत्र स्व श्री करतार सिंह  
वासी मकान नम्बर 654/27 जवाहर नगर  
जिला सोनीपत


मो0न0 93548-38065

कार्यवाही पुलिस- आज दिनांक 30.01.2026 को मैं अपने सहयोगी स्टाफ ASI संजय 685/पानीपत ASI सन्दीप 79/दादरी ASI जगवीर 1114/रेवाड़ी HC अनिल 571/झज्जर HC सत्यवान 645/GRP CT. मोहित 2175/सोनीपत वा सवारी गाड़ी सरकारी न0 HR 03GV-7843 जिसका चालक HC/EASI संजय 555/दादरी व गाड़ी सरकारी न0 HR 03GV-7962 जिसका चालक E/ASI प्रदीप 864/भिवानी के खुफिया ड्युटी में नई सच्ची मंडी गोहाना हाजीर मौजूद था कि राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री करतार सिंह वारी मकान न0 654/27 जवाहर नगर जिला सोनीपत ने मेरे समुख उपरोक्त दरखास्त पेश कि और अपने और आरोपी I/O जीतसिंह थाना शहर गोहाना जिला सोनीपत के विच रिश्त वारे हुई बातचीत कि रिकार्डिंग को सुनाया गया उक्त वारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया जिन्होंने शीघ्र कानुनी कार्यवाही करने वारे कहा जो दरखास्त एवं रिकार्डिंग के मजबूत से सुर्त जुर्म जेर धारा 7 PC ACT का सर्जद होना पाया जाने पर तहरीर हजा वराए कायमी मुकदमा बदस्त CT मोहित 2175/सोनीपत के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो रोहतक भेजी जा रही है वाद करने दर्ज अभियाँग न0 पर्वा से सुचित किया जाए और स्पैशल रिपोर्ट अफसरवाच वाला च ईलाका गजिरट्रेट को नियम अनुसार भेजी जाए मेरे द्वारा एक दरखास्त वराए नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी व कर्मचारी ई-मेल माध्यम से पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो रोहतक को भेजी गई है जो वाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी से सम्पर्क करके नियम अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी । हस्ता अंग्रेजी Sachiv Insp

अज- नई सच्ची मंडी गोहाना

सचिव कुमार निरीक्षक

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो



रोहतक मण्डल रोहतक

दिनांक 30.01.2026

AT: 5.25 PM

अज थावा- हरब आगदा तहरीर प्राप्त होने पर गु0 न0 02 दिनांक 30.01.26 धारा 7 P.C Act थावा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्युटर प्रतिया तैयार कि गई अप्पाराध वाला व ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पैशल मैरोन्जर/गेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस गय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदरत शिपाही गोरित न0 2175/सोनीपत की जाकर खाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा गुन्नाशिव हिदायत दी गई । उपरोक्त मुकदमा प्रवन्धक अप्पाराध थावा के कोड से निरीक्षक राजाराम न0 531/H की दजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अप्पाराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sachiv Rank (पद): I (Inspector)  
Kumar

No. (सं.): 1720ggg to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)


(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.  
(आर.ओ.ए.सी.)



*Raja Ram*  
Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Raja Ram

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 531/H

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.